रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264660
SG-DL-E-15072025-264660

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 124
No. 202]	DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947	[N. C. T. D. No. 124

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(शहरी विकास विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

फा. सं. 16(887)/शह0वि0/डब्ल्यू/2023/1007.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली प्रशासन की दिनांक 07.05.2014 की अधिसूचना संख्या 16(424)/शह0वि0/डब्ल्यू/2013/157 के आंशिक संशोधन में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, दिल्ली जल बोर्ड में संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखे) के पद की भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु दिल्ली जल बोर्ड एतद् द्वारा निम्नलिखित भर्ती विनियमन बनाते हैं, प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :— (I) इन विनियमनों को दिल्ली जल बोर्ड, संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखे) भर्ती विनियमन, 2025 कहा जाए।

   (II) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, इसका उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमनों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में

यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं** :– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **उपबंध िथिल करने की भाक्ति** :–जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :– इन विनियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

''अनुसूची''

1.	**पदनाम**	:	**संयुक्त निदेाक (वित्त एवं लेखे)**
2.	**पदों की संख्या**	:	02*(2025) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी ''क''
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स के स्तर–12 (78800–209200/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर–चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसमें अल्पकालीन संविदा भी शामिल है।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः –** **ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–11 (67700–208700/–रुपये) में उप–निदेशक (वित्त एवं लेखे) तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से वित्त एवं लेखे मामलों में प्रशिक्षण किया हो, में से।** **नोट 1**:– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित

			अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केन्द्र / राज्य सरकार / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान / विश्वविद्यालय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्धसरकारी / संघ राज्य क्षेत्र / वैधानिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारीः (क) (i) मूल संवर्ग / विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग / विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–11 (67700–208700 / –रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदत्त ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित अथवा समकक्ष; या (iii) मूल संवर्ग / विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–10 (56100–177500 / –रुपये)में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदत्त ग्रेड में दस वर्ष की सेवा सहित अथवा समकक्ष; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखने वालेः (i) अधीनस्थ लेखा सेवा मेंया केंद्र सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण; अथवा (ii) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) या समकक्ष में नकदी एवं लेखा कार्य में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो तथा नकदी एवं लेखा और बजट कार्यों में पांच वर्ष का अनुभव हो। भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व धारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) शामिल है, सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (आईएसटीसी) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टीप**–: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ दिनांक 01–01–2016 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदत्त सेवा, जिस तिथि से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित

			संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर तदनुरूप विस्तारित ग्रेड पे/वेतनमान के रूप में की गई सेवा मानी जाएगी, के अतिरिक्त जहां एक से अधिक पूर्व–संशोधित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड पे/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हो गया हो, और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड पे/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**समुह ''क'' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु):–** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग– अध्यक्ष 2. सीईओ/सदस्य (प्रशा0), दिल्ली जल बोर्ड–सदस्य 3. सदस्य (वित्त) –सदस्य
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार पांडे, संयुक्त सचिव (शहरी विकास विभाग)

(URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th July, 2025

F. 16(887)/UD/W/2023/1007.— The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in Partial amendment of Delhi Administration Notification No. 16 (424)/UD/W/2013/157 dated 07.05.2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession for regulating the method of recruitment to the post of 'Joint Director (Finance & Accounts)' in the Delhi Water Board, are hereby published, namely:-

1. **Short title and commencement: -** (I) These regulations may be called the Delhi Jal Board 'Joint Director (Finance & Accounts)' Recruitment Regulations, 2025.
(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in the Pay matrix**: The number of said posts, its classification and Level in the Pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications:-** The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification:—** No person;
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:
Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that

there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

5. **Power to relax the provisions**:- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving: -** Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	NAME OF THE POST	JOINT DIRECTOR (FINANCE & ACCOUNTS)
2.	NO. OF POSTS	02*(2025) SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ONWORKLOAD
3.	CLASSIFICATION	Category ‘A’
4.	LEVEL IN THE PAY MATRIX.	LEVEL 12 (RS.78800 - 209200) IN THE PAY MATRIX.
5.	WHETHER SELECTION OR NON- SELECTION POST.	NOT APPLICABLE
6.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS	NOT APPLICABLE
7.	EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS	NOT APPLICABLE
8.	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	NOT APPLICABLE.
9.	PERIOD OF PROBATION, IF ANY.	NOT APPLICABLE
10.	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION/DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	BY PROMOTION FAILING WHICH BY DEPUTATION INCLUDING SHORT TERM CONTRACT.
11	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION / TRANSFER, GRADES FROM WHICH PROMOTION / DEPUTATION/ TRANSFER TO BE MADE.	**PROMOTION: -** **DEPUTY DIRECTOR (FINANCE & ACCOUNTS IN LEVEL-11 (Rs. 67700- Rs. 208700) OF THE PAY MATRIX WITH FIVE YEARS REGULAR SERVICE IN THE GRADE AND HAVE UNDERGONE TRAINING IN FINANCE AND ACCOUNTS MATTER FROM DELHI JAL BOARD TRAINING INSTITUTE.** **NOTE 1: -** WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE , OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONG-WITH THEIR JUNIOR WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE.

		DEPUTATION(INCLUDING SHORT TERM CONTRACT): OFFICER OF THE CENTRAL/STATE GOVTS. /RECOGNIZED RESEARCH INSTITUTIONS/ UNIVERSITIES /PSUS/ SEMI GOVERNMENT/ UTs/ STATUTORY OR AUTONOMOUS ORGANIZATIONS: (A) (I) HOLDING ANALOGOUS POSTS ON REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT; OR (II) WITH FIVE YEARS' SERVICE IN THE GRADE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON REGULAR BASIS IN LEVEL-11 (Rs. 67700- Rs. 208700) OF THE PAY MATRIX OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT; OR **(III) WITH TEN YEARS SERVICE IN THE GRADE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON A REGULAR BASIS IN LEVEL-10 (Rs. 56100 –Rs. 177500) OF THE PAY MATRIX OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE/ DEPARTMENT; AND** B) POSSESSING ONE OF THE FOLLOWING EDUCATIONAL QUALIFICATION AND EXPERIENCE: (I) A PASS IN SUBORDINATE ACCOUNTS SERVICE OR **EQUIVALENT EXAMINATION CONDUCTED BY ANY ORGANIZED ACCOUNTS DEPARTMENT OF CENTRAL GOVERNMENT OR** **(II) SUCCESSFULLY COMPLETED THE TRAINING IN CASH AND ACCOUNTS WORK IN THE INSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING AND MANAGEMENT (ISTM) OR EQUIVALENT AND POSSESSING FIVE YEARS EXPERIENCE IN CASH AND ACCOUNTS AND BUDGET WORKS.** **THE DEPARTMENTAL OFFICERS IN THE FEEDER CATEGORY WHO ARE IN THE DIRECT LINE OF PROMOTION WILL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT ON DEPUTATION. SIMILARLY, DEPUTATIONISTS SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT BY PROMOTION.** **(PERIOD OF DEPUTATION (ISTC) INCLUDING PERIOD OF DEPUTATION (ISTC) IN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANIZATION/ DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED FOUR YEARS. THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION (ISTC) SHALL NOT BE EXCEEDING 56 YEARS AS ON THE CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATION).** **NOTE:** FOR THE PURPOSE OF APPOINTMENT ON DEPUTATION BASIS, THE SERVICE RENDEREDON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 1.1.2016 THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 7THCPC RECOMMENDATION HAS BEEN EXTENDED, SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING GRADE PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION EXCEPT WHERE THERE HAS BEEN MERGER OF MORE THAN ONE PRE-REVISED SCALE OF PAY INTO ONE GRADE WITH A COMMON GRADE PAY/ PAY SCALE, AND WHERETHIS BENEFIT WILL EXTEND ONLY FOR THE POST(S) FOR WHICH THAT GRADE PAY/PAYSCALE IS THE NORMAL REPLACEMENT GRADE WITHOUT ANY UPGRADATION.
12	IF A DPC EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION	**CATEGORY-A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (FOR PROMOTION): -** 1. CHAIRMAN/MEMBER OF UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION – CHAIRMAN 2. CEO/ MEMBER (ADMN.) DJB – MEMBER 3. MEMBER (FINANCE) – MEMBER
13.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.	CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NECESSARY ON EACH OCCASION.

By Order and in the Name of
the Lt. Governor, Delhi,

MANOJ KUMAR PANDEY, Joint Secy. (UD)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.15 14:39:55 +05'30'